

प्रेषक,

रजिस्ट्रार/निरीक्षक,
उ०प्र० मदरसा शिक्षा परिषद,
704, जवाहर भवन, लखनऊ।

सेवा में,

जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी,
समस्त जनपद, उ०प्र०।

पत्रांक: 2283/म०शि०प०-14(21)/2023

दिनांक: 27 अक्टूबर, 2023

विषय:—उ०प्र० मदरसा शिक्षा परिषद, लखनऊ द्वारा संचालित मुंशी/मौलवी (सेकेण्डरी फारसी एवं अरबी), आलिम (सीनियर सेकेण्डरी फारसी एवं अरबी), कामिल एवं फाजिल परीक्षा वर्ष-2024 के परीक्षा आवेदन पत्रों हेतु दिशा-निर्देश।

महोदय,

उपरोक्त विषयक उ०प्र० मदरसा शिक्षा परिषद, लखनऊ द्वारा संचालित मुंशी/मौलवी (सेकेण्डरी फारसी एवं अरबी), आलिम (सीनियर सेकेण्डरी फारसी एवं अरबी), कामिल एवं फाजिल परीक्षा वर्ष-2024 के परीक्षा आवेदन पत्र हेतु निम्नलिखित दिशा-निर्देश निर्गत किये जा रहे हैं :-

(i)– परीक्षार्थियों के लिये दिशा-निर्देश

1. परीक्षा शुल्क जिसका परीक्षावार विवरण पत्र के साथ संलग्न है, के अनुसार समस्त परीक्षाओं का शुल्क निम्नलिखित लेखाशीर्षक में ट्रेजरी चालान के माध्यम से मदरसे द्वारा परीक्षा वर्ष 2024 की गाइडलाइन जारी होने की तिथि से जमा किया जा सकता है। मदरसे द्वारा चालान की मूल प्रति सुरक्षित रखी जायेंगी:-

0202-शिक्षा खेल-कूद, कला एवं संस्कृति,

01- सामान्य शिक्षा

101- प्रारम्भिक शिक्षा

10- अरबी फारसी मदरसों का मान्यता शुल्क व अन्य शुल्क

2. परीक्षार्थियों से **Offline** परीक्षा आवेदन पत्र प्राप्त करने एवं निर्धारित शुल्क जमा करने के उपरान्त मदरसों द्वारा **Online Form** भरे जायेंगे।
3. परीक्षार्थी द्वारा कामिल एवं फाजिल परीक्षा में गत वर्ष का पाठ्यक्रम जिस मदरसे एवं स्ट्रीम (अरबी अथवा फारसी) से किया गया है, वर्तमान वर्ष भी उसी मदरसे एवं स्ट्रीम से करना अनिवार्य होगा अर्थात् किसी भी परिस्थिति में मदरसा एवं स्ट्रीम परिवर्तित नहीं होगी।
4. परीक्षार्थी की परीक्षा वर्ष 2018 से 2023 में आवंटित **Student ID, Online** फार्म में दर्ज करने पर उसे अपना व्यक्तिगत विवरण भरने की आवश्यकता नहीं होगी एवं आगामी वर्षों की परीक्षाओं हेतु आई०डी० अनिवार्य होगी।
5. परीक्षार्थियों द्वारा आनलाइन आवेदन होने के पश्चात् सम्बन्धित मदरसे से अपने परीक्षा आवेदन पत्र के प्रिन्ट प्राप्त कर उस पर नाम/पिता का नाम/माता का नाम/जन्म तिथि/कक्षा का विवरण तथा परीक्षाफलों के पूर्णांकों व प्राप्तांक का मिलान करने के पश्चात् उस पर हस्ताक्षर कर सम्बन्धित मदरसे में जमा करना अनिवार्य होगा। परीक्षा आवेदन पत्र में किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर निर्धारित अवधि में मदरसे के स्तर से सुधार किया जा सकेगा, किन्तु जनपद स्तर पर

R

जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के स्तर से Digital Signature से Locked आवेदन पत्र में किसी प्रकार का सुधार किसी भी स्तर पर नहीं किया जा सकेगा।

(ii)– मदरसों के लिये दिशा–निर्देश–

1. मदरसा पोर्टल (<https://madarsaboard.upsdc.gov.in>) पर Online परीक्षा आवेदन फार्म भरने की जिम्मेदारी मदरसे के प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या की होगी तथा किसी भी त्रुटि के लिये मदरसा प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे/होंगी।
2. परिषद द्वारा परीक्षा वर्ष 2023 से सेकेण्डरी परीक्षा का नाम परिवर्तित करते हुए मुंशी/मौलवी (सेकेण्डरी फारसी एवं अरबी), सीनियर सेकेण्डरी परीक्षा का नाम परिवर्तित करते हुए आलिम (सीनियर सेकेण्डरी फारसी एवं अरबी) कर दिया गया है।
3. मुंशी/मौलवी (सेकेण्डरी फारसी एवं अरबी) पाठ्यक्रम हेतु 14 वर्ष न्यूनतम आयु निर्धारित है। अर्थात् परीक्षार्थी द्वारा दिनांक 31 मार्च 2023 को 14 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो तथा अन्य पाठ्यक्रम की परीक्षा आवेदन करने हेतु वांछित गैप होना अनिवार्य होगा।
4. मदरसे द्वारा यदि किसी परीक्षार्थी का Duplicate आवेदन आनलाइन किया जाता है और उसे अपने या जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के स्तर से निरस्त नहीं कराया जाता है और Duplicate आवेदन जनपद से फारवर्ड हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में उक्त आवेदनों को निरस्त करने का अधिकार परिषद को प्राप्त होगा।
5. मदरसे एवं परीक्षार्थियों की सुविधा के लिये परीक्षा आवेदन पत्र का प्रारूप मदरसा पोर्टल पर उपलब्ध होगा। इसके अतिरिक्त मदरसे द्वारा स्वयं का प्रारूप भी परीक्षा फार्म भरवाने में प्रयोग किया जा सकता है, बशर्ते उसमें Online परीक्षा आवेदन पत्र भरने हेतु समस्त अनिवार्य/आवश्यक सूचनाओं का समावेश हों।
6. परिषद द्वारा परीक्षा के स्वरूप में परिवर्तन करते हुए वर्ष 2020 की परीक्षा से सेकेण्डरी एवं सीनियर सेकेण्डरी की परीक्षा से सत्रांक (Sessional Marks) का प्राविधान किया गया है, जिसके क्रम में सम्बन्धित मदरसों को समस्त संस्थागत एवं व्यक्तिगत परीक्षार्थियों की सत्रांक (Sessional) परीक्षा लेना अनिवार्य होगा तथा परीक्षार्थी का कक्षा उत्तीर्ण करने के लिये सत्रांक परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।
7. सत्रांक (Sessional Marks) मदरसा पोर्टल पर फीड किये जाने के सम्बन्ध में पृथक से निर्देश एवं समय–सारिणी निर्गत की जायेगी।
8. परीक्षार्थियों एवं मदरसा प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या से अपेक्षा की जाती है कि गत परीक्षा के विवरण में Roll No अंक भरते समय विशेष सावधानी बरती जाय। संकलित किये गये परीक्षा फार्म जांचोपरान्त, पोर्टल पर यूजर आईडी0 के माध्यम से यह सुनिश्चित करते हुए कि परीक्षा शुल्क ट्रेजरी चालान के माध्यम से राजकीय हेड में जमा कर दिया गया है, ऑन लाईन फीड किये जायेंगे, जिसको लॉक करने के उपरान्त परीक्षा आवेदन पत्र पर “अन्तिम रूप से लॉक” अंकित होगा।
9. प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या द्वारा परीक्षा आवेदन पत्र पूर्णरूपेण Online भरने के पश्चात् परीक्षार्थियों द्वारा उपलब्ध करायी गयी हार्ड कॉपी से परीक्षार्थी का नाम/पिता का नाम/माता का नाम/जन्म तिथि तथा परीक्षाफलों के पूर्णांकों व प्राप्तांक का मिलान करने के पश्चात् Online आवेदन पत्र को लॉक करते हुये Final Print Out लेकर परीक्षार्थी से उस पर हस्ताक्षर आदि कराने के उपरान्त मदरसा प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या द्वारा उस पर अंकित प्रमाण–पत्र को हस्ताक्षरित कर Form के Print Out की हार्ड कॉपी मदरसे में अनिवार्य रूप से सुरक्षित रखी जायेगी, जो कभी भी परिषद कार्यालय द्वारा मांगी जा सकती है।

R

10. परीक्षा वर्ष 2024 में सम्बन्धित मदरसा अपनी मान्यता स्तर तक अर्थात् मदरसे को जिस स्तर तक मान्यता प्रदान की गई है, उसी स्तर तक परीक्षा आवेदन पत्र भरवा सकेगा।
11. राज्यानुदानित/सहायता प्राप्त मदरसों के लिये व्यक्तिगत परीक्षा आवेदन पत्र भरवाने की अधिकतम संख्या-500 एवं गैर अनुदानित/मान्यता प्राप्त मदरसों के लिये व्यक्तिगत परीक्षा आवेदन पत्र भरवाने की अधिकतम संख्या-400 निर्धारित की गयी है।
12. कामिल एवं फाजिल कक्षा को पूर्ण करने की अधिकतम समयावधि (कामिल के लिये 06 वर्ष एवं फाजिल के लिये 04 वर्ष) परिषद द्वारा निर्धारित की गयी है, इसलिये ऐसे परीक्षार्थी जिनका कोर्स निर्धारित अवधि में पूर्ण न हो सके उनका परीक्षा आवेदन पत्र न भरवाया जाय। आवेदन पत्र निरस्त हो जाने अथवा परीक्षा से वंचित किये जाने की स्थिति में सम्बन्धित आवेदक/मदरसा प्रधानाचार्य उत्तरदायी होंगे।
13. मदरसे स्तर पर परीक्षा आवेदन पत्र लॉक करने से पूर्व परीक्षार्थी का नाम, पिता का नाम, Reg/Pvt, शिया/सुन्नी, कक्षा, ब्रान्च, वर्ष, को छोड़कर अन्य त्रुटियों के निवारण हेतु UPDATE का ऑपशन उपलब्ध होगा, जिसके माध्यम से मदरसा द्वारा परीक्षा आवेदन पत्र में संशोधन किया जा सकेगा। यदि मदरसा त्रुटियां सही करने में अक्षम है, तो मदरसा DELETE ऑपशन का प्रयोग कर निर्धारित समय अवधि में सम्बन्धित विद्यार्थी का परीक्षा आवेदन पत्र पुनः भर सकेगा, किन्तु जनपद स्तर पर जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के स्तर से Digital Signature से Locked आवेदन पत्र में किसी प्रकार का सुधार किसी भी स्तर पर नहीं किया जा सकेगा।
14. Transgender परीक्षार्थियों के लिये Other का Option भी पुरुष/महिला के साथ होगा। मदरसे द्वारा Online आवेदन पत्र भरते समय बहुत ही सावधानीपूर्वक इसका चयन किया जाय।
15. Transgender परीक्षार्थियों का परीक्षा शुल्क एवं परीक्षा केन्द्र पुरुष परीक्षार्थियों की भाँति होगा।
16. परीक्षा वर्ष 2020 से परिषद द्वारा मुंशी/मौलवी (सेकेण्डरी फारसी एवं अरबी), आलिम (सीनियर सेकेण्डरी फारसी एवं अरबी) की परीक्षा के प्रश्न-पत्रों की संख्या एवं उनके पूर्णांक में संशोधन किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत है:-

मुंशी/मौलवी (सेकेण्डरी फारसी एवं अरबी)

क्रम सं०	अनिवार्य विषय	प्रश्न पत्रों की संख्या	सत्रांक	थ्योरी	योग
01	थियोलाॅजी (शिया/सुन्नी)	01	20	80	100
02	अरबी साहित्य (मौलवी हेतु) फारसी साहित्य (मुंशी हेतु)	01	20	80	100
03	उर्दू साहित्य	01	20	80	100
04	सामान्य अंग्रेजी	01	20	80	100
05	सामान्य हिन्दी	01	20	80	100
06	वैकल्पिक विषय- 1. गणित 2. गृह विज्ञान 3. लॉजिक एण्ड फिला सॉफी 4. विज्ञान 5. सामाजिक अध्ययन 6. तिब	01	20	80	100

B

आलिम (सीनियर सेकेण्डरी फारसी एवं अरबी)

क्रम सं०	अनिवार्य विषय	प्रश्न पत्रों की संख्या	सत्रांक	थ्योरी	योग
01	थियोलॉजी (शिया/सुन्नी)	01	30	70	100
02	अरबी साहित्य (मौलवी हेतु) फारसी साहित्य (मुंशी हेतु)	01	30	70	100
03	उर्दू साहित्य	01	30	70	100
04	सामान्य अंग्रेजी	01	30	70	100
05	वैकल्पिक विषय— 1. गृह विज्ञान 2. सामान्य हिन्दी 3. लॉजिक एण्ड फिला सॉफी 4. विज्ञान 5. सामाजिक अध्ययन 6. टाईपिंग	01	30	70	100

17. परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता के अतिरिक्त अन्य किसी अहर्ता वाले अभ्यर्थियों के परीक्षा आवेदन पत्र कदापि न अग्रसारित किया जाय।
18. अन्य बोर्डों से उत्तीर्ण परीक्षार्थी भी मद्रसा बोर्ड से परीक्षा आवेदन पत्र भर सकेंगे बशर्ते कि वह न्यूनतम अहर्ता पूर्ण करते हो अर्थात् यदि परीक्षार्थी द्वारा आलिम (सीनियर सेकेण्डरी फारसी/अरबी) में आवेदन किया जा रहा है तो उसने हाईस्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा उर्दू अरबी फारसी विषय से अनिवार्य रूप में उत्तीर्ण की हो तथा इसी प्रकार कामिल की परीक्षा हेतु परीक्षार्थी द्वारा इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा उर्दू/अरबी/फारसी से अनिवार्य रूप से उत्तीर्ण की हो, परन्तु फाजिल की परीक्षा के लिये उ०प्र० मद्रसा शिक्षा परिषद की कामिल परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा, किन्तु ऐसे परीक्षार्थियों के आवेदन पत्र मद्रसे द्वारा सावधानीपूर्वक भरे जाये तथा उनके अभिलेखों की भली-भाँति जाँच पड़ताल कर ली जाय एवं गत् परीक्षा का विवरण भरते समय निर्धारित कॉलम में अन्य बोर्ड (जैसे-माध्यमिक शिक्षा परिषद, आदि) के विवरण का स्पष्ट उल्लेख किया जाय। गलत जानकारी दिये गये आवेदन पत्र को निरस्त करने का अधिकार परिषद को प्राप्त होगा। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित मद्रसे का होगा।
19. यदि किसी परीक्षार्थी का गत् परीक्षा के विवरण का किसी कारणवश पोर्टल पर उपलब्ध डाटा से मिलान नहीं हो पाता है, तो उसका आवेदन-पत्र जनपद के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के Log in पर सन्देहास्पद की श्रेणी में चला जायेगा, जिसकी चेतावनी (Alert) परीक्षा आवेदन पत्र भरते समय ही प्रदर्शित हो जायेगी। सन्देहास्पद आवेदन पत्र के अग्रसारण अथवा निवारण हेतु सम्बन्धित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय से सम्पर्क किया जाय।
20. व्यक्तिगत परीक्षा आवेदन पत्र भरने से पूर्व मद्रसे द्वारा परीक्षार्थी के अभिलेखों का भली-भाँति परीक्षण एवं सत्यापन कर लिया जाय तदोपरान्त ही परीक्षा आवेदन पत्र अग्रसारित किये जाय। गलत एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र अग्रसारित किये जाने पर सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित मद्रसे के प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या का होगा।

B

(iii)–जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के लिये दिशा निर्देश–

1. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि मदरसा पोर्टल पर रजिस्टर्ड मदरसे जो कि **Finally Digital Signature** से Lock हों, वही मदरसे परिषद की आगामी वर्ष की परीक्षाओं में मदरसे की मान्यता स्तर तक ही परीक्षा में सम्मिलित होंगे। यदि किसी मदरसे द्वारा ऐसे कोर्स की परीक्षा के लिये आनलाइन आवेदन किया जाता है, जो उसकी मान्यता स्तर का नहीं है, तो ऐसे आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जाय अन्यथा इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की होगी।
2. यदि किसी परीक्षार्थी के गत परीक्षा के विवरण का मिलान किन्हीं कारणवश पोर्टल पर उपलब्ध डाटा से नहीं होता है, तो उसका आवेदन पत्र कोड के साथ सन्देहास्पद की श्रेणी में चला जायेगा, जो कि जनपद के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के Log In पर प्रदर्शित होगा उदाहरणार्थ–(यदि गत परीक्षा में किसी परीक्षार्थी के नाम में (DOT) लगा होगा जैसे इस प्रकार (MOHD.) लिखा होगा तो उसका नाम Mismatch हो जायेगा) ऐसे प्रकरण में यदि सम्बन्धित परीक्षार्थी अथवा मदरसा प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या द्वारा जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय से सम्पर्क किया जाता है और जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा इस बात की पुष्टि कर ली जाती है कि परीक्षार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रपत्र वैध है, तो जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी उस आवेदन पत्र को सन्देहास्पद की श्रेणी से हटाते हुये अग्रसारित कर देंगे अन्यथा निरस्त कर देंगे, कोड का विवरण निम्नवत् है:–
 - CODE- SPC= Suspect In Previous Class Details.
(परीक्षार्थी के गत कक्षा के विवरण से नाम, पिता का नाम, शाखा का मिलान नहीं हो रहा है।)
 - CODE- FPC= Students Failed In Previous Class.
(परीक्षार्थी गत कक्षा में अनुत्तीर्ण है।)
 - CODE-SPM=Previous Marks Is Mismatched.
(परीक्षार्थी के गत कक्षा के प्राप्तांक, कक्षा वर्ष, नाम, पिता का नाम, मिलान नहीं हो रहा है।)
3. मदरसे द्वारा अग्रसारित परीक्षा आवेदन पत्रों का भलीभाँति परीक्षण करने एवं आश्वस्त होने के उपरान्त ही जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी परीक्षा आवेदन पत्र अग्रसारित करेंगे।
4. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी परीक्षा आवेदन पत्र अग्रसारित करते समय यदि किसी आवेदन पत्र के विषय में आश्वस्त नहीं हैं, तो वह उस पत्र को Hold करते हुये आगे के आवेदन पत्र अग्रसारित कर सकेंगे और Hold किये गये आवेदन पत्र को आश्वस्त होने के पश्चात् निर्धारित तिथि के अन्दर ही अग्रसारित कर सकेंगे। निर्धारित तिथि के पश्चात् यह सम्भव नहीं होगा।
5. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा परीक्षा आवेदन पत्र आनलाइन अग्रसारित करते समय रेण्डम आधार पर उपरोक्त दिशा–निर्देश के बिन्दु संख्या (ii)10 का भी अनुश्रवण अनिवार्य रूप से कर लिया जाय।
6. परीक्षा आवेदन पत्र Online मदरसा पोर्टल पर भरे जाने की समय–सारणी पृथक से निर्गत की जायेगी।
7. वर्ष 2024 की परीक्षा में भी परीक्षार्थियों की अनुपस्थिति मदरसा पोर्टल पर परीक्षा समाप्ति के 02 दिवस के भीतर Absentee Module पर Online फीड की जायेगी। गत वर्षों की परीक्षा में कतिपय परीक्षा केन्द्रों द्वारा अनुपस्थिति फीड किये जाने में विलम्ब के साथ–साथ लापरवाही भी बरती गई

B

थी। अतः इस वर्ष इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो इसके लिये परीक्षा केन्द्र व्यवस्थापकों/सह केन्द्र व्यवस्थापकों को पूर्व से इस पर सचेत कर दिया जाय तथा प्रत्येक परीक्षा केन्द्रों के स्तर पर जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा अनुपस्थिति फीड कराये जाने हेतु नोडल कर्मचारी नामित किया जाय, जो प्रत्येक दिवस उसकी रिपोर्ट जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को उपलब्ध कराये।

8. मदरसा पोर्टल पर Public Domain में परीक्षार्थियों द्वारा स्वयं एवं मदरसों की Log In पर मदरसों द्वारा परीक्षार्थियों की अनुपस्थिति क्रास चेक किये जाने का Module उपलब्ध रहेगा, जिससे कि परीक्षार्थियों एवं मदरसों को किसी प्रकार की असुविधा न हो एवं परीक्षार्थियों द्वारा अपने परीक्षा अनुक्रमांक से अपनी अनुपस्थिति क्रास चेक की जा सके।

तत्काल में आपसे अनुरोध है कि मदरसा पोर्टल पर परीक्षा आवेदन पत्र नियमानुसार एवं सही ढंग से भरे जायें। इसके लिये जनपद के परीक्षा से सम्बन्धित मदरसों की बैठक बुलाकर उन्हें प्रशिक्षित कर दें एवं परिषद द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों से भली-भाँति अवगत करा दें। विस्तृत जानकारी के लिये Online परीक्षा आवेदन पत्र भरने का दिशा-निर्देश भी संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है, जिससे त्रुटि न हो सके। साथ-साथ परीक्षा वर्ष 2024 आवेदन पत्र ससमय भरवाने एवं निष्पक्ष रूप से परीक्षा सम्पन्न कराये जाने के सम्बंध में भी अन्य सभी अपेक्षित कार्यवाही ससमय सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीया



(डॉ० प्रियंका अवस्थी)
रजिस्ट्रार / निरीक्षक

पत्रांक व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. वैयक्तिक सहायक, अध्यक्ष, उ०प्र० मदरसा शिक्षा परिषद को मा० अध्यक्ष जी के अवलोकनार्थ।
2. संयुक्त सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-3, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
3. निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ०प्र०, 620, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
4. जिलाधिकारी, समस्त जनपद, उ०प्र०।
5. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक (आई०टी०), योजना भवन, लखनऊ।
6. उप निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, समस्त मण्डल, उ०प्र०।
7. प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या, समस्त मान्यता/सहायता प्राप्त मदरसे, उ०प्र०।

(डॉ० प्रियंका अवस्थी)
रजिस्ट्रार / निरीक्षक

कार्यालय रजिस्ट्रार/निरीक्षक,
उ०प्र० मदरसा शिक्षा परिषद, लखनऊ।
परीक्षा वर्ष 2024 के शुल्क का विवरण

संस्थागत (Regular) बालकों के लिए (प्रति छात्र):-

क्र.सं०	परीक्षा का नाम	परीक्षा शुल्क	अंक पत्र शुल्क	योग (रु० में) 3+4
1	मुंशी/मौलवी (से०फा०/अ०)	120/-	50/-	170/-
2	आलिम (सी०से० फा०/अ०)	180/-	50/-	230/-
3	कामिल	240/-	50/-	290/-
4	फाजिल	300/-	50/-	350/-

संस्थागत (Regular) बालिकाओं के लिए (प्रति छात्र):-

क्र.सं०	परीक्षा का नाम	परीक्षा शुल्क	अंक पत्र शुल्क	योग (रु० में) 3+4
1	मुंशी/मौलवी (से०फा०/अ०)	60/-	50/-	110/-
2	आलिम (सी०से० फा०/अ०)	80/-	50/-	130/-
3	कामिल	110/-	50/-	160/-
4	फाजिल	140/-	50/-	190/-

व्यक्तिगत (Private) बालकों के लिए (प्रति छात्र):-

क्र.सं०	परीक्षा का नाम	परीक्षा शुल्क	अंक पत्र शुल्क	योग (रु० में) 3+4
1	मुंशी/मौलवी (से०फा०/अ०)	240/-	50/-	290/-
2	आलिम (सी०से० फा०/अ०)	280/-	50/-	330/-
3	कामिल	450/-	50/-	500/-
4	फाजिल	480/-	50/-	530/-

व्यक्तिगत (Private) बालिकाओं के लिए (प्रति छात्र):-

क्र.सं०	परीक्षा का नाम	परीक्षा शुल्क	अंक पत्र शुल्क	योग (रु० में) 3+4
1	मुंशी/मौलवी (से०फा०/अ०)	130/-	50/-	180/-
2	आलिम (सी०से० फा०/अ०)	160/-	50/-	210/-
3	कामिल	240/-	50/-	290/-
4	फाजिल	250/-	50/-	300/-



(डॉ० प्रियंका अवस्थी)
रजिस्ट्रार/निरीक्षक

उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद।
परीक्षा वर्ष 2024 के लिये Online भरे जाने वाले आवेदन पत्र हेतु परीक्षार्थियों से ली जाने वाली सूचना का प्रारूप।

यदि वर्ष 2018/ 2019/ 2020/2021/2022/2023 में मदरसा बोर्ड से परीक्षा उत्तीर्ण की है तो Student ID का उल्लेख करें

मदरसे का नाम व पता जनपद

1. थियोलॉजी-.....
(शिया / सुन्नी)
2. प्रश्न-पत्र का माध्यम-.....
(उर्दू / हिन्दी / अंग्रेजी)
3. धर्म (इस्लाम / अन्य)
4. परीक्षा का प्रकार (संस्थागत / व्यक्तिगत).....
5. परीक्षार्थी का नाम.....
(अंग्रेजी भाषा में बड़े अक्षरों में)
6. पिता का नाम.....
(अंग्रेजी भाषा में बड़े अक्षरों में)
7. माता का नाम.....
(अंग्रेजी भाषा में बड़े अक्षरों में)
8. जन्म तिथि.....
10. लिंग-(Male/Female/Transgender).....
11. कक्षा.....
(जिस परीक्षा हेतु फार्म भरना है)
12. परीक्षा वर्ष.....
13. शाखा (अरबी / फारसी).....
14. एन0आर0न0.....
15. मोबाईल न0.....

Phcto

16. चयनित वैकल्पिक विषय का नाम.....

17. गत कक्षा का विवरण भरें :-

- | | |
|----------------------------|----------------------------------|
| 17(a)- परीक्षा का नाम..... | 17(b)-उत्तीर्ण वर्ष..... |
| 17(c)- अनुक्रमांक..... | 17(d)- परिषद / बोर्ड का नाम..... |
| 17(e)- शाखा..... | 17(f)- परीक्षा परिणाम..... |

18. केवल कामिल (द्वितीय / तृतीय वर्ष) अथवा फाजिल (द्वितीय वर्ष) कक्षा के परीक्षार्थियों के लिये :-

➤ पाठ्यक्रम से सम्बन्धित गत वर्ष के परीक्षाफल का विवरण :-

18(a)- प्रथम वर्ष..... उत्तीर्ण वर्ष अनुक्रमांक..... प्राप्तांक..... परीक्षाफल.....

18(b)- द्वितीय वर्ष..... उत्तीर्ण वर्ष..... अनुक्रमांक..... प्राप्तांक..... परीक्षाफल.....

19. शुल्क विवरण

19(a)- चलान संख्या..... 19(b)-दिनांक..... 19(c)- धनराशि.....

19(d)- बैंक का नाम..... 19(e)-शाखा.....

परीक्षार्थी का स्थाई पता.....

पत्र व्यवहार का पता.....

परीक्षार्थी द्वारा संलग्न किये जाने वाले अभिलेखों का विवरण :-

1..... 2..... 3..... 4.....

दिनांक-

स्थान-

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

नोट:- परीक्षार्थी वैकल्पिक विषय के चयन हेतु संलग्नक देखें।

परीक्षा वर्ष 2024 के लिये Online भरे जाने वाले आवेदन पत्र हेतु परीक्षार्थियों से ली जाने वाली सूचना का संलग्नक-

वैकल्पिक विषय (विद्यार्थी द्वारा अपनी परीक्षानुसार किसी एक विषय का चयन करें)	
परीक्षा का नाम	वैकल्पिक विषय
1 मुंशी / मौलवी (सेकेंडरी फारसी एवं अरबी)	गणित / गृह विज्ञान / लॉजिक एण्ड फिलासफी / सामाजिक विज्ञान / विज्ञान / तिव
2 आलिम (सीनियर सेकेंडरी फारसी एवं अरबी)	गृह विज्ञान / सामान्य हिन्दी / सामाजिक विज्ञान / टाईपिंग / सामान्य विज्ञान / तिव / लॉजिक एण्ड फिलासफी
3 कामिल (अरबी / फारसी) प्रथम एवं द्वितीय वर्ष	सामान्य अग्रेजी / कम्प्यूटर / तारीख-ए-इस्लाम / लॉजिक एण्ड फिलासफी उर्दू साहित्य (कामिल अरबी / फारसी के विद्यार्थी हेतु) / अरबी साहित्य (कामिल फारसी के विद्यार्थी हेतु) फारसी साहित्य (कामिल अरबी के विद्यार्थी हेतु)

नोट:- परीक्षार्थी द्वारा उपलब्ध कराये गये विवरण की पुष्टि मदरसा प्रधानाचार्य / प्रधानाचार्या द्वारा उसके मूल अभिलेखों से अनिवार्य रूप से कर ली जाय तथा परीक्षा फार्म के साथ संलग्न किये जाने वाले प्रमाण पत्रों की प्रतियाँ भी प्राप्त कर सुरक्षित करलें।